

साप्ताहिक

अचलेश्वर एक्सप्रेस

संपादक : आकाश कुशवाह:- 8435500216

वर्ष-1 अंक-05

ग्वालियर, सोमवार 21 सितंबर 2026 | पृष्ठ 8, मूल्य 2 रुपये

RNI No. - MPHIN/26/A/7091

11 हजार बोतलें किसी एक दिन में नहीं पहुंचतीं, फिर पुलिस की नजर कहां थी?

ग्वालियर में चलता रहा शराब पैकिंग का खेल, सागर पुलिस ने आकर खोल दी पुलिसिंग की पोल

हजारों खाली बोतलें और शराब की पैकिंग का पूरा सामान ग्वालियर में जमा रहा, स्थानीय पुलिस को भनक नहीं लगी; सागर में जहरीली शराब से मौतों के बाद सामने आया ग्वालियर कनेक्शन

अचलेश्वर एक्सप्रेस

ग्वालियर। नकली शराब के उस नेटवर्क की कड़ी ग्वालियर तक पहुंचने के बाद अब सवाल अपराधियों से ज्यादा उस पुलिसिंग व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं, जिसके इलाके में यह पूरा खेल चलता रहा। सागर पुलिस ने ग्वालियर के जेवरा का पुरा और बहोड़ापुर की राय कॉलोनी में दबिश देकर 11,050 खाली प्लास्टिक बोतलें, 250 कैप्सूल, दो ड्राई और 180 एमएल की बोतल तैयार करने वाली दो ड्राई मशीनों के साथ ढक्कन सील करने वाली ऑटोमैटिक मशीन बरामद की। इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री किसी छोटे स्तर के कारोबार की निशानी नहीं है। सवाल सीधा है—जब सामान हजारों की संख्या में था, मशीनें मौजूद थीं और सप्लाई दूसरे जिले तक हो रही थी, तब स्थानीय पुलिस की नजर आखिर कहां थी?



पुलिस की आंखों के सामने बना रहा सप्लाई नेटवर्क?

नकली शराब का कारोबार किसी एक बोतल से नहीं चलता। इसके लिए खाली बोतल, ढक्कन, रैपर, ड्राई, मशीन और परिवहन की जरूरत होती है। ग्वालियर से बरामद सामान यह संकेत देता है कि नेटवर्क में पैकिंग और सप्लाई की व्यवस्थित व्यवस्था थी। जांच में ग्वालियर से सागर तक खाली बोतल और पैकेजिंग सामग्री पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में थाना स्तर की पुलिसिंग पर सवाल और गहरा जाता है। क्या इलाके में संदिग्ध गोदामों, कमरियल ठिकानों और लगातार आने-जाने वाले मालवाहक वाहनों की निगरानी हो रही थी? अगर हो रही थी तो यह गतिविधि पकड़ में क्यों नहीं आई?

संरक्षण साबित नहीं, लेकिन सवालों से पुलिस बच नहीं सकती

अब इस मामले में पुलिस संरक्षण की चर्चा भी उठ सकती है, लेकिन किसी अधिकारी या कर्मचारी के संरक्षण की आधिकारिक पुष्टि सामने आए बिना उसे तथ्य बताना उचित नहीं होगा। मगर इसका अर्थ यह भी नहीं कि पुलिस जवाबदेही से बच सकती है। जानकारी नहीं थी तो इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई—दोनों स्थितियों में जांच का रास्ता ग्वालियर पुलिस तक पहुंचता है। सागर पुलिस की कार्रवाई ने कम से कम इतना जरूर सामने ला दिया है कि ग्वालियर इस नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ी था।

अब थाना नहीं, पूरे नेटवर्क की जांच जरूरी

ग्वालियर पुलिस को इस मामले को

केवल सागर पुलिस की कार्रवाई मानकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जेवरा का पुरा और बहोड़ापुर में यह सामग्री कब से थी, किसके इशारे पर आई, कहां भेजी जाती थी, परिवहन कौन करता था और स्थानीय स्तर पर किन लोगों को इसकी जानकारी थी—इन सभी बिंदुओं की जांच जरूरी है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित थाना और वरिष्ठ अधिकारियों तक ऐसी गतिविधि की सूचना क्यों नहीं पहुंची। सागर पुलिस ग्वालियर आकर नेटवर्क की कड़ी पकड़ गई; अब ग्वालियर पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह यह पता लगाए कि उसके अपने इलाके में यह कड़ी इतनी देर तक छिपी कैसे रही।

सागर पुलिस ग्वालियर पहुंच गई, स्थानीय पुलिस क्यों नहीं पहुंची?

इस मामले का सबसे बड़ा झटका ग्वालियर पुलिस की निगरानी व्यवस्था को लगा है। सागर पुलिस ने अपने यहां पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की, नेटवर्क की कड़ियां जोड़ीं और फिर ग्वालियर पहुंचकर उन ठिकानों तक जा पहुंची, जहां से नकली शराब की पैकिंग से जुड़ा सामान बरामद हुआ। यानी दूसरे जिले की पुलिस ने वह कड़ी पकड़ ली, जो ग्वालियर में मौजूद थी। सवाल यह नहीं कि सागर पुलिस ने इतनी बड़ी बरामदगी कैसे की; सवाल यह है कि ग्वालियर पुलिस को अपने ही इलाके में चल रही गतिविधि की जानकारी क्यों नहीं मिली? यदि सूचना नहीं थी तो मुखबिर तंत्र और बीट पुलिसिंग की समीक्षा जरूरी है, और यदि किसी स्तर पर जानकारी थी तो कार्रवाई न होने की जांच उससे भी जरूरी है।

ग्वालियर पुलिस के सूचना तंत्र की असली परीक्षा

पुलिस की ताकत सिर्फ वर्दी और गश्त में नहीं, बल्कि सूचना तंत्र में होती है। अपराध होने के बाद आरोपी पकड़ना जरूरी है, लेकिन अपराध का नेटवर्क बनने से पहले उसकी जानकारी हासिल करना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। यहां तस्वीर उलटी नजर आती है। सागर में गंभीर घटना हुई, वहां जांच शुरू हुई और पूछताछ की कड़ी ग्वालियर तक पहुंची। इसके बाद सागर पुलिस ने ग्वालियर में दबिश देकर सामग्री बरामद कर ली। यह घटनाक्रम ग्वालियर पुलिस के लिए आत्ममंथन का विषय है कि उसका स्थानीय सूचना नेटवर्क ऐसे बड़े ठिकाने तक क्यों नहीं पहुंच सका।

सागर में त्रासदी के बाद जागी जांच, ग्वालियर में पहले क्यों नहीं जागी पुलिस?

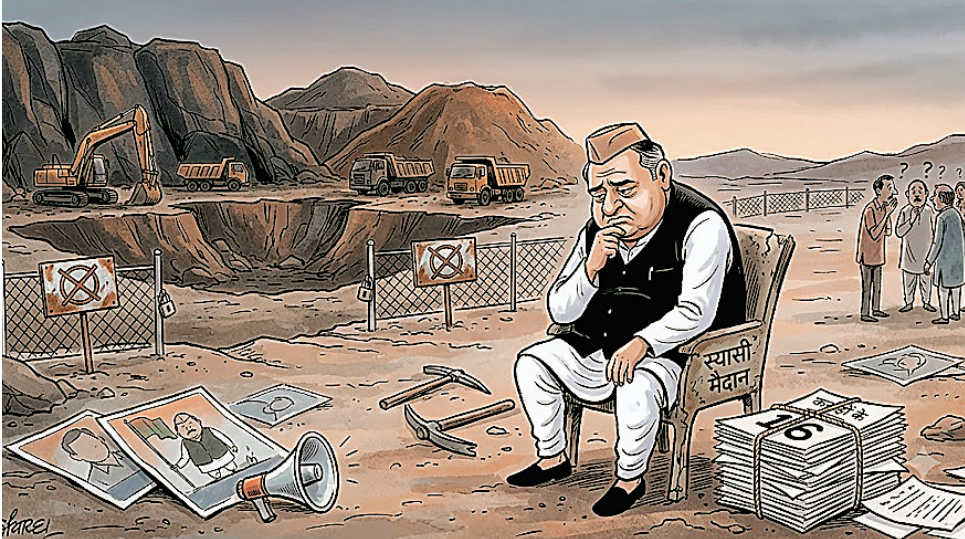
सबसे गंभीर बात यह है कि ग्वालियर की कड़ी किसी सामान्य स्थानीय कार्रवाई में सामने नहीं आई। सागर में नकली शराब से मौतों के बाद जांच आगे बढ़ी और उसी जांच ने ग्वालियर के ठिकाने तक पहुंचाया। अगर सागर में हादसा नहीं होता तो क्या यह नेटवर्क इसी तरह चलता रहता? यह सवाल जांच एजेंसियों को भी तलाशना चाहिए। क्योंकि अवैध शराब का कारोबार सिर्फ कानून तोड़ने का मामला नहीं है; यह सीधे लोगों की जान से जुड़ा खतरा है। आज सागर में इसका परिणाम सामने आया, कल ऐसी कोई सप्लाई ग्वालियर में किसी बड़े हादसे का कारण बने, तो जिम्मेदारी तय करने के लिए पुलिस के पास क्या जवाब होगा?

करोड़ों के खनन जुर्माने के बाद 'माननीय' की खामोशी, खदान बंद तो सियासी मैदान भी सूना

विधानसभा चुनाव लड़ चुके विपक्षी नेता की जनसमस्याओं पर घटती सक्रियता बनी चर्चा का विषय, आर्थिक झटके और राजनीति के रिश्ते पर उठे सवाल

अचलेश्वर एक्सप्रेस

ग्वालियर। ग्वालियर की राजनीति में एक विपक्षी 'माननीय' इन दिनों चर्चा में हैं। वजह कोई नया राजनीतिक बयान या जनआंदोलन नहीं, बल्कि उनकी खदान से जुड़ी करोड़ों रुपये की आर्थिक कार्रवाई और उसके बाद दिखाई दे रही राजनीतिक खामोशी है। संबंधित माननीय विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन खनन मामले में भारी जुर्माने की कार्रवाई के बाद उनकी सार्वजनिक सक्रियता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मामला न्यायालय के हस्तक्षेप और खनन से जुड़े आर्थिक दायित्वों से जुड़ा होने के कारण इसकी चर्चा केवल कारोबारी स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसके राजनीतिक असर को लेकर भी



अटकलें लगाई जा रही हैं। खदान पर आर्थिक कार्रवाई के बाद खनन गतिविधियां प्रभावित होना एक अलग

विषय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका असर माननीय की राजनीतिक सक्रियता पर भी पड़ा है?

क्योंकि राजनीति में लगातार जनता के बीच रहना, कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखना और क्षेत्र की समस्याओं

को प्रशासन के सामने उठाना किसी भी नेता की सार्वजनिक भूमिका का अहम हिस्सा माना जाता है। ग्वालियर में सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, कानून-व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्षी नेताओं की सक्रियता लगातार दिखाई देती रही है। ऐसे में जब किसी चर्चित राजनीतिक चेहरे की मौजूदगी अपेक्षाकृत कम नजर आती है तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना स्वाभाविक है। दूसरा सवाल आर्थिक संसाधनों का है। चुनावी राजनीति में जनसंपर्क, संगठन और लगातार सक्रिय रहने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। ऐसे में करोड़ों रुपये के आर्थिक दायित्व का दबाव किसी कारोबारी गतिविधि के साथ-साथ राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकता है, हालांकि इस मामले में

यह कहना जल्दबाजी होगी कि माननीय की राजनीतिक सक्रियता कम होने का एकमात्र कारण खनन कार्रवाई ही है। इसके पीछे अन्य राजनीतिक या व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। फिलहाल सवाल इतना ही है कि जिस माननीय ने चुनावी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई, वही आज जनता के मुद्दों पर पहले जैसी सक्रियता क्यों नहीं दिखा रहे? क्या खदान पर पड़ा आर्थिक बोझ सियासी गतिविधियों पर भी असर डाल रहा है या फिर यह महज राजनीतिक विराम है? जवाब माननीय ही बेहतर दे सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि खदान पर लगा करोड़ों का जुर्माना अब सिर्फ खनन का मामला नहीं रह गया है, उसके बाद माननीय की सियासी सक्रियता भी ग्वालियर की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है।

मंच से दूरी, बयान में तलखी... डबरा में इमरती देवी ने बढ़ाई भाजपा की सियासी हलचल

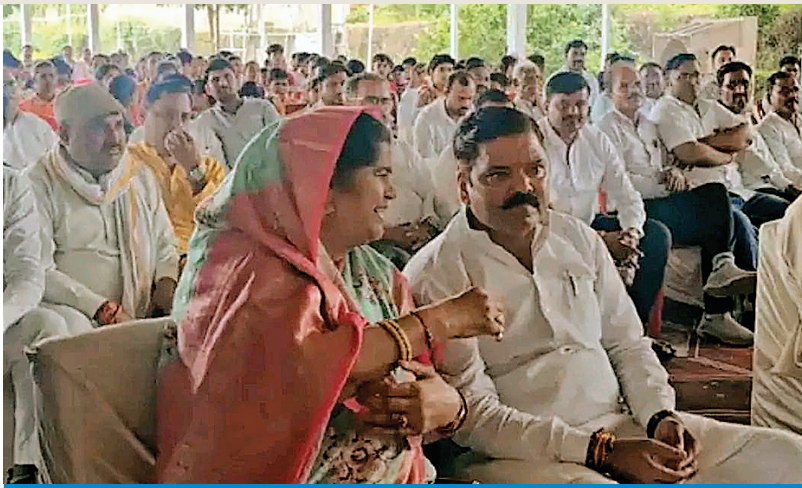
सांसद भारत सिंह कुशवाह के बुलाने के बावजूद मंच पर नहीं पहुंचीं पूर्व मंत्री; बोलीं-‘मंच पर हत्यारे और हत्या के आरोपी भी बैठे हैं’, फिर कहा-‘समय सबका बदलता है

अचलेश्वर एक्सप्रेस

डबरा। भारतीय जनता पार्टी के सेवा संकल्प अभियान के तहत डबरा में आयोजित कार्यक्रम उस समय अचानक राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया, जब पूर्व मंत्री इमरती देवी ने मंच से दूरी बनाए रखी। कार्यक्रम में ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह ने स्वयं इमरती देवी को मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वह मंच पर नहीं पहुंचीं और कार्यकर्ताओं के बीच बैठी रहीं। मंच पर उनकी तस्वीर नहीं होने की चर्चा के बीच उनके इस रुख ने कार्यक्रम के राजनीतिक मायने और बढ़ा दिए।

सांसद बुलाते रहे, इमरती देवी नीचे बैठी रहीं

कार्यक्रम के दौरान सांसद भारत सिंह कुशवाह ने मंच से इमरती देवी को आमंत्रित किया। इसके बावजूद पूर्व मंत्री ने मंच पर जाने से इनकार कर दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने खुद को भाजपा की एक कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि वह कार्यकर्ताओं के बीच बैठना पसंद करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी से नाराज नहीं हैं और अपनी मर्जी से नीचे बैठी हैं। यही तस्वीर कार्यक्रम के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रही—एक ओर मंच से बुलावा और दूसरी ओर मंच से दूरी।



‘मंच पर हत्यारे और हत्या के आरोपी भी बैठे हैं’

मंच पर नहीं जाने के सवाल पर इमरती देवी का बयान इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया। उन्होंने कहा कि ‘मंच पर हत्यारे और हत्या के आरोपी भी बैठे हुए हैं।’ इसके साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों के साथ मंच साझा करने पर सवाल उठाया और कहा कि वह अच्छे लोगों के साथ बैठना पसंद करती हैं। यह आरोपात्मक टिप्पणी किस व्यक्ति विशेष के संदर्भ में थी, इमरती देवी ने अपने बयान में किसी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया। इसलिए मंच पर मौजूद किसी व्यक्ति को उनके बयान से सीधे जोड़ना बिना स्वतंत्र पुष्टि के उचित नहीं होगा।

डबरा की राजनीति में इमरती देवी की भूमिका फिर चर्चा में: इमरती देवी डबरा की राजनीति में लंबे समय से प्रमुख चेहरा रही हैं। वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई थीं और सिंधिया समर्थक नेताओं में गिनी जाती हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में डबरा सीट से उन्हें कांग्रेस के सुरेश राजे के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में डबरा के स्थानीय संगठनात्मक समीकरणों में उनका कोई भी सार्वजनिक बयान स्वाभाविक रूप से राजनीतिक चर्चा पैदा करता है।

‘समय सबका बदलता है... बयान में छिपा राजनीतिक संदेश?’

इमरती देवी ने इसके बाद कहा— ‘समय सबका बदलता है, पहले किसी और का था, अब किसी और का है और आगे किसी और का होगा।’ यही वह पवित्र रही जिसने सामान्य मंचीय विवाद को राजनीतिक संकेतों की चर्चा में बदल दिया। उनके इस बयान को लेकर अलग-अलग राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका इशारा किस नेता या राजनीतिक समूह की ओर था। ऐसे में उनके शब्दों का अंतिम अर्थ निकालने के बजाय इसे उनके सार्वजनिक बयान के रूप में देखना अधिक उचित है।

पोस्टर पर तस्वीर नहीं, लेकिन मंच पर बुलावा जरूर

कार्यक्रम के मुख्य बैनर में इमरती देवी की तस्वीर दिखाई नहीं देने की बात भी सामने आई। जब उनसे इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह पार्टी की कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता की तस्वीर पोस्टर पर होना जरूरी नहीं है। दूसरी ओर, मंच से सांसद द्वारा उन्हें बुलाया जाना यह दिखाता है कि कार्यक्रम के दौरान उन्हें मंच पर स्थान देने का प्रयास किया गया था। इसके बावजूद उनका नीचे बैठना अपने आप में राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।

मंच पर मौजूदगी से ज्यादा चर्चा मंच से दूरी की

कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत, सांसद भारत सिंह कुशवाह, नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन

कार्यक्रम खत्म होने के बाद चर्चा सेवा संकल्प अभियान की गतिविधियों से ज्यादा इमरती देवी के मंच पर न बैठने और उनके बयान पर केंद्रित हो गई। इमरती देवी का यह रुख भाजपा के भीतर किसी औपचारिक विवाद का प्रमाण है या स्थानीय स्तर की राजनीतिक परिस्थितियों पर उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि डबरा के मंच पर एक खाली कुर्सी और उसके बाद बोले गए कुछ तीखे शब्दों ने भाजपा की स्थानीय राजनीति को लेकर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। खासकर उनका यह कहना कि ‘पहले किसी और का था, अब किसी और का है और आगे किसी और का होगा’ आने वाले दिनों में राजनीतिक चर्चाओं का आधार बना रह सकता है।

गणेश पंडाल के पोस्टर

फाड़ने पर हंगामा, रमटापुरा में तनाव

ग्वालियर। रमटापुरा क्षेत्र में शनिवार रात गणेश पंडाल के पास लगे पोस्टर को फाड़ने को लेकर विवाद हो गया। पोस्टर फटा मिलने के बाद गणेश पंडाल से जुड़े लोगों में आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। विवाद बढ़ने पर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही ग्वालियर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाईश देकर स्थिति को शांत कराया।

गणेश उत्सव के चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पंडाल सजाए गए हैं। इसी क्रम में रमटापुरा क्षेत्र में भी गणेश प्रतिमा की स्थापना कर पंडाल लगाया गया है। पंडाल के पास भक्तों की ओर से पड़ोस में रहने वाले खत्री के मकान पर भगवान गणेश का पोस्टर लगाया गया था। शनिवार रात किसी समय यह पोस्टर फटा हुआ मिला। पोस्टर फटा देखकर वहां मौजूद लोगों में नाराजगी फैल गई। कुछ ही देर में घटना की जानकारी क्षेत्र में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। पोस्टर फाड़ने को लेकर लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट की स्थिति बन गई। भीड़ बढ़ने और माहौल तनावपूर्ण होने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही ग्वालियर थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को समझाईश देकर शांत कराया और मौके पर मौजूद भीड़ को हटाया।

गुना में केंद्रीय मंत्री का प्रशासन पर सीधा दबाव और डबरा में समर्थक नेता का मंच से किनारा—क्या यह महज दो अलग घटनाएं हैं या बदलते राजनीतिक समीकरणों की आहट?

अचलेश्वर एक्सप्रेस

ग्वालियर। मध्यप्रदेश की राजनीति में कई बार बड़ा संदेश भाषणों से नहीं, बल्कि घटनाओं के बीच दिखाई देने वाली खामोशी से निकलता है। पिछले दो दिनों में गुना और डबरा से सामने आई दो तस्वीरें इसी वजह से चर्चा के केंद्र में हैं। एक तस्वीर में केंद्रीय मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अधिकारियों से सीधे जवाब मांगते दिखाई दिए, तो दूसरी तस्वीर में उनकी समर्थक मानी जाने वाली पूर्व मंत्री इमरती देवी भाजपा के कार्यक्रम में मंच पर बुलाए जाने के बावजूद मंच से दूरी बनाकर कार्यकर्ताओं के बीच बैठीं। दोनों घटनाओं को जोड़कर सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन इनसे सीधे यह निष्कर्ष निकालना कि भाजपा में सिंधिया खेमों की सुनवाई नहीं हो रही, फिलहाल उपलब्ध तथ्यों से साबित नहीं होता।

गुना में 18 सितंबर को जनसुनवाई के दौरान सिंधिया ने कलेक्टर और एसपी को जनता के बीच मौजूद रहने



को कहा और एक मामले में निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। किसानों ने खाद और ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से जुड़ी परेशानियां भी उनके सामने रखीं, जिस पर उन्होंने प्रशासन को शिकायतें दर्ज कर समाधान के निर्देश दिए। सड़क की समस्या लेकर युवाओं से बातचीत के दौरान भी उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए। यानी गुना की तस्वीर में सिंधिया की राजनीतिक सक्रियता और प्रशासन से सीधे संवाद का पक्ष साफ दिखाई देता है।

दूसरी ओर डबरा में इमरती देवी की

तस्वीर बिल्कुल अलग रही। सेवा संकल्प कार्यक्रम में सांसद भारत सिंह कुशवाह ने उन्हें मंच पर बुलाया, लेकिन वह मंच पर नहीं गईं। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने मंच पर बैठे लोगों को लेकर ‘हत्यारे और हत्या के आरोपी’ जैसे गंभीर शब्द कहे और यह भी कहा कि ‘समय सबका बदलता है।’ उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम लेकर अपने आरोप को स्पष्ट नहीं किया, इसलिए उनके बयान को आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए, स्थापित तथ्य के रूप में नहीं।

अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है—क्या इमरती देवी की नाराजगी केवल डबरा के उस कार्यक्रम और मंच व्यवस्था तक सीमित है, या इसके पीछे स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को लेकर कोई असहमति है? इसका जवाब फिलहाल स्वयं इमरती देवी या भाजपा संगठन की स्पष्ट प्रतिक्रिया से ही मिल सकता है। लेकिन यह भी तथ्य है कि जून 2026 में घोषित भाजपा प्रदेश कार्यसमिति में इमरती देवी को सदस्य बनाया गया था। इसलिए संगठनात्मक स्तर पर उनकी मौजूदगी

को नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा कहना भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।

मेरी नजर में इन दोनों घटनाओं को ‘सिंधिया बनाम भाजपा’ या ‘सिंधिया खेमा कमजोर’ जैसे सीधे निष्कर्ष में बदल देना राजनीति को जरूरत से ज्यादा सरल बना देना होगा। राजनीति में एक नेता का प्रशासन पर प्रभाव और उसी राजनीतिक धारा से जुड़े दूसरे नेता का स्थानीय संगठनात्मक मंच पर असंतोष—दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं। असली परीक्षा यह है कि डबरा की इस घटना के बाद भाजपा संगठन क्या प्रतिक्रिया देता है, इमरती देवी अपने बयान को लेकर आगे क्या रुख अपनाती हैं और स्थानीय स्तर पर नेताओं के बीच संवाद किस दिशा में जाता है।

फिलहाल तस्वीर में सबसे बड़ा संदेश यही है—गुना में सिंधिया अपनी राजनीतिक सक्रियता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि डबरा में इमरती देवी ने मंच से दूरी बनाकर अपने तरीके से असहमति दर्ज कराई है। इन दोनों तस्वीरों के बीच संबंध है या नहीं, यह समय बताएगा; लेकिन इतना जरूर है कि डबरा का मंच अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि भाजपा की स्थानीय राजनीति में पूछे जा रहे कई सवालों का नया संदर्भ बन गया है।

जिलेभर में नजर नहीं आते नगर रक्षा समिति के सदस्य, कंपू थाने के बाहर रात होते ही दिखती है बड़ी संख्या में मौजूदगी; वाहन चालकों से कथित अभद्रता और अवैध वसूली की शिकायतों ने खड़े किए गंभीर सवाल

कंपू थाने की रात की चेकिंग पर बड़ा सवाल: नगर रक्षा समिति के भरोसे पुलिसिंग या पुलिस बल की कमी?

अचलेश्वर एक्सप्रेस

गवालियर। गवालियर पुलिस की कार्यप्रणाली में नगर रक्षा समिति की भूमिका को लेकर अब एक ऐसा सवाल सामने आया है, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। शहर और जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में यदि नगर रक्षा समिति के सदस्य पुलिस के सहयोग के लिए गठित हैं, तो फिर उनकी सक्रिय मौजूदगी सबसे ज्यादा और नियमित रूप से कंपू थाना क्षेत्र में ही क्यों दिखाई देती है? शाम ढलते ही कंपू थाने के बाहर होने वाली वाहन चेकिंग में बड़ी संख्या में नगर रक्षा समिति के सदस्य नजर आते हैं। ऐसे में सवाल सीधा है—क्या कंपू थाने में पुलिस बल की कमी है, या फिर नगर रक्षा समिति के सदस्यों को पुलिस चेकिंग की व्यवस्था में जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है? नगर रक्षा समिति का गठन पुलिस और आम नागरिकों के बीच सहयोग तथा सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। समिति के सदस्य पुलिस के नियमित कर्मचारी नहीं होते। ऐसे में वाहन चेकिंग जैसी कार्यवाई में उनकी भूमिका और अधिकारों की सीमा स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। यदि किसी वाहन चालक को रोकने, दस्तावेज देखने, पूछताछ करने या चालानी कार्यवाई की प्रक्रिया में उनकी भूमिका है, तो क्या इसके लिए उन्हें स्पष्ट निर्देश और



अधिकृत जिम्मेदारी दी गई है? और यदि उनकी भूमिका केवल पुलिस की सहायता करने तक सीमित है, तो फिर रात की चेकिंग में उनकी वास्तविक जिम्मेदारी क्या है? कंपू थाने के बाहर रात के समय चलने वाली चेकिंग को लेकर स्थानीय स्तर पर यह शिकायत भी सामने आ रही है कि कुछ नगर रक्षा समिति सदस्यों द्वारा वाहन चालकों से कथित तौर पर अभद्र भाषा में बात की जाती है। कुछ लोगों की ओर से कथित अवैध वसूली के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच आवश्यक है, लेकिन सवाल यह है कि यदि

पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, तो निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर चेकिंग स्थल पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारी ऐसी गतिविधियों पर तत्काल रोक क्यों नहीं लगाते? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी वाहन चालक के खिलाफ नियमों के उल्लंघन पर चालान किया जाना अलग विषय है और चेकिंग के दौरान किसी गैर-पुलिस व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर दबाव बनाने या अनुचित व्यवहार किए जाने का आरोप अलग। दोनों को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता। यदि

कार्रवाई वैधानिक है तो उसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और यदि कोई व्यक्ति पुलिस की आड़ में अपनी मनमानी करता है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सवाल सिर्फ कंपू थाने का नहीं, पूरी व्यवस्था का है। अगर नगर रक्षा समिति के सदस्य पुलिस के सहयोग के लिए हैं तो जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भूमिका कहां दिखाई देती है? क्या वहां भी नियमित रूप से इसी तरह रात की चेकिंग कराई जाती है? यदि नहीं, तो कंपू थाना इस मामले में अलग क्यों है? क्या वहां वास्तव में पुलिस स्टाफ की कमी है? यदि पुलिस बल पर्याप्त है, तो फिर नगर रक्षा समिति के सदस्यों की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती का औचित्य क्या है? और यदि पुलिस बल की कमी है तो क्या इस कमी को दूर करने के बजाय नागरिक स्वयंसेवकों से पुलिसिंग का काम कराया जा रहा है? एक और बड़ा सवाल—क्या चालान की संख्या बढ़ाना ही चेकिंग की सफलता है? सड़क पर वाहन रोकने के दौरान नागरिकों के साथ पुलिस का व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों की कथित गलत हरकतों का खामियाजा अंततः पुलिस की छवि को भुगतना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस की मौजूदगी में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है या पैसे मांगने जैसी हरकत करता है और उस पर तत्काल कार्यवाई नहीं होती, तो आम नागरिक के मन में सवाल

उठना स्वाभाविक है कि आखिर वहां जिम्मेदार कौन है? अब जरूरत है कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं इस पूरे मामले की वास्तविकता की जांच करें। कंपू थाने के बाहर रात में होने वाली चेकिंग में नगर रक्षा समिति के कितने सदस्य लगाए जाते हैं, उन्हें किस अधिकारी ने किस उद्देश्य से लगाया है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, क्या उन्हें वाहन रोकने या किसी प्रकार की कार्यवाई का अधिकार है और चेकिंग के दौरान उनकी निगरानी कौन करता है—इन सभी बिंदुओं को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही कथित अभद्र व्यवहार और अवैध वसूली की शिकायतों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नगर रक्षा समिति पुलिस की सहयोगी व्यवस्था है, पुलिस का विकल्प नहीं। यदि इस व्यवस्था का इस्तेमाल निर्धारित सीमा में हो रहा है तो सवालों का जवाब व्यवस्था के पास होना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति पुलिस के नाम या पुलिस की मौजूदगी का अनुचित लाभ उठा रहा है तो उस पर कार्यवाई भी होनी चाहिए। अब देखना यह है कि कंपू थाने की रात की चेकिंग को लेकर उठ रहे इन सवालों पर वरिष्ठ अधिकारी संज्ञान लेते हैं, मौके की वास्तविकता की जांच करते हैं और व्यवस्था में सुधार करते हैं—या फिर सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी अनदेखा कर दिया जाता है।

यूपीआई को एनपीसीआई ने किया तैयार, शुरुआत में 21 बैंकों को इससे जोड़ा था

नई दिल्ली, (ए)। यूपीआई आज चाय की दुकान से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक भुगतान का सबसे आसान तरीका बन चुका है, लेकिन जिस यूपीआई का इस्तेमाल करोड़ों लोग रोज करते हैं, उसके पीछे काम करने वाली व्यवस्था और इसके नियमों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने विकसित किया है। एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक के नियमन के तहत काम करता है और यूपीआई को तत्काल भुगतान प्रणाली के रूप में तैयार किया गया है। बता दें यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका पायलट लॉन्च 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में तत्कालीन आरबीआई गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने किया था। शुरुआत में 21 बैंकों को इससे जोड़ा गया था। अगस्त 2016 से कई बैंकों ने यूपीआई आधारित सेवाएं और ऐप उपलब्ध कराने शुरू किए। इसके बाद यूपीआई का दायरा बढ़ता गया और यह देश के डिजिटल भुगतान तंत्र का अहम हिस्सा बन गया। यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत इसकी इंटरऑपरेबिलिटी है यानी



15 अक्टूबर 2026 से बड़े व्यापारियों के भुगतान पर बदल सकता है नियम

अलग-अलग बैंकों के खातों को एक ही भुगतान इंटरफेस के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए ग्राहक को हर बार बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड साझा करने की जरूरत नहीं होती। यूपीआई आईडी या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के जरिए भी भुगतान किया जा सकता है। यह आमतौर पर नाम, बैंक जैसे प्रारूप में होती है। यूपीआई से भुगतान करते समय ग्राहक अपने बैंक खाते से जुड़ा ऐप खोलकर राशि दर्ज करता है और लेनदेन को यूपीआई पिन के जरिए अधिकृत करता है। इसके बाद भुगतान प्रणाली के जरिए राशि भेजने वाले बैंक खाते से प्राप्तकर्ता के बैंक खाते तक पहुंचती है। यूपीआई पिन

चार से छह अंकों का गुप्त पासकोड होता है, जिसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। यूपीआई का इस्तेमाल केवल व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान तक सीमित नहीं है। दुकानदारों को भुगतान, क्यूआर कोड, ऑनलाइन खरीदारी, बिल भुगतान, फीस, दान और अन्य सेवाओं के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में भुगतान मांगने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। अब यूपीआई एक बार फिर शुल्क व्यवस्था को लेकर चर्चा में है। 15 अक्टूबर से बड़े व्यापारियों के कुछ यूपीआई भुगतानों पर मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होने की बात सामने आई है।

संसदीय समिति में नहीं हुई यूपीआई चार्ज पर बात

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नए मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी ने इसे मोदी टैक्स बताते हुए सरकार पर गुस्सा जाहिर किया था और इसे वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस के पांच सांसद के इस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने की बात कही जा रही है जिसे गौरव गोगोई ने खारिज किया है। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यूपीआई के लिए टिकाऊ राजस्व व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया गया था। इस लिस्ट में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल और के गोपीनाथ शामिल थे।

इसका अर्थ व्यापारी के भुगतान लेनदेन पर शुल्क व्यवस्था में बदलाव है। हालांकि इसका सीधा शुल्क आम ग्राहक से वसूलना अलग विषय है। इसलिए ग्राहकों के लिए यह समझना जरूरी है कि यूपीआई भुगतान की मूल प्रक्रिया और व्यापारी से जुड़े शुल्क नियम अलग-अलग बातें हैं।

हाईकोर्ट ने गवाह के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने के लिए निर्देश

इस कदम से आपराधिक मामलों की जांच ज्यादा निष्पक्ष एवं पारदर्शी होगी

प्रयागराज, (ए)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को जांच अधिकारियों के लिए गवाह के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने का निर्देश दिया और कहा कि इस कदम से आपराधिक मामलों की जांच ज्यादा निष्पक्ष एवं पारदर्शी होगी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने दहेज से जुड़े मामले में एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। इस मामले में कोर्ट में मौजूद जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि उसने सूचना देने वाले का बयान दर्ज करते समय उसकी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की।

कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए गवाह के बयान दर्ज करने की अनुमति देती है। हालांकि जब कोर्ट ने बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में डीजीपी के 21 जुलाई 2025 और 4 अगस्त 2026 को जारी परिपत्र के बारे में सवाल पूछा तो जांच अधिकारी ने अदालत से माफी मांगी। कोर्ट ने कहा कि उसके सामने ऐसे अनेक मामले आए हैं जिसमें जांच अधिकारियों ने डीजीपी के परिपत्र में विकल्प उपलब्ध कराए जाने के बावजूद ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार नहीं की।

कोर्ट के मुताबिक कई मामलों में जांच अधिकारी स्वयं को इस आरोप से



बचाने के लिए ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं करते कि गवाहों के बयान खुद जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थमिकी की नकल कर लिखे गए हैं।

कोर्ट ने पाया कि डीजीपी के परिपत्र में एक दुष्कर्म पीड़िता के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है, जबकि अन्य बयानों की रिकॉर्डिंग वैकल्पिक छोड़ दी गई है। अदालत ने कहा कि इस विकल्प का कई जांच अधिकारियों द्वारा व्यापक ढंग से दुरुपयोग किया गया है। इसलिए कोर्ट ने डीजीपी को सभी बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने पर विचार करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने डीजीपी को इस दिशानिर्देश से सभी जांच अधिकारियों को अवगत कराने का भी निर्देश दिया ताकि असली दोषी को सजा मिल सके और किसी बेगुनाह व्यक्ति को गलत जांच के कारण परेशान न होना पड़े। कोर्ट ने आगरा जिले के दहेज से जुड़े एक मामले में चंद्रकांत नाम के व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश पारित किए।

संपादकीय

0.4 फीसदी का छोटा शुल्क, विशाल लेन-देन, लाखों करोड़ की कमाई?

भारत सरकार ने यूपीआई शुल्क लगाने की जो घोषणा की है उसके बाद से देश में बवाल मच गया है। पिछले 12 वर्षों से लगातार टैक्स बढ़ाई जा रही है। हर सेवा और हर वस्तु पर टैक्स लग रहा है। जिसके कारण आम आदमी टैक्स से बहुत परेशान हैं। भारत 1947 में आजाद हुआ था, तब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं थे। लोगों के पास टैक्स देने को पैसा नहीं था। ऐसी स्थिति में भारत ने बड़ी तेजी के साथ उस समय विकास किया, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। भारत की तुलना में दक्षिण कोरिया ने बड़ी तेजी के साथ आर्थिक प्रगति की। उन कारणों को जानना भी जरूरी है। दोनों देशों ने लगभग एक ही दौर में नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत की। दक्षिण कोरिया ने कुछ दशकों में औद्योगिक और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी। 1948 से 1960 के दशक में साउथ कोरिया में हर ट्रांजैक्शन पर एक फ्रीसदी टैक्स हर किसी से वसूल किया जाता था। सरकार ने बैंकों से साउथ कोरिया के नागरिकों को इसी अवधि में बिना ब्याज के, बिना गारंटी के छोटे-छोटे लोन देना शुरू किये। लोन नहीं चुकाने पर दिवालिया घोषित करने, नागरिकता खत्म कर, नागरिक सुविधा से बाहर करने का कानून बनाया। साउथ कोरिया ने 65 फ्रीसदी स्टेट ड्यूटी का प्रावधान किया, जिसके कारण साउथ कोरिया की आर्थिक और सामाजिक उन्नति बड़ी तेजी के साथ बेहतर हुई। ऐसा माना जाता है एक फ्रीसदी न्यूनतम टैक्स होने के कारण साउथ कोरिया में टैक्स की चोरी नहीं हुई। 65 फ्रीसदी स्टेट ड्यूटी होने के कारण लोगों ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपनी सुविधाओं पर खर्च किया। 16-18 साल के युवा अपने बेहतर भविष्य को लेकर जो काम कर सकते थे उन्होंने करना शुरू कर दिया। उन्हें काम करने के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो रहा था। इस बदलाव से 1960 के बाद कानून में बदलाव हुआ। औद्योगिक क्रांति हुई। 1960 से 1969 के बीच साउथ कोरिया की जीडीपी 7.6 फ्रीसदी से आगे बढ़ रही थी। 1970 से 1979 के बीच में औद्योगिक विकास बढ़कर 8.4 फ्रीसदी को पार कर गया। सारी दुनिया में साउथ कोरिया का डंका बजने लगा।

अमेरिका की नई पैतरेबाजी से डरने की जरूरत नहीं

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंधों को विदेश नीति के प्रमुख उपकरणों के रूप में अधिक आक्रामक ढंग से इस्तेमाल किया है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर संभावित 100 प्रतिशत तक टैरिफ का अधिकार देने वाला नया अमेरिकी विधेयक इसी बदलते रुख का ताजा उदाहरण है, लेकिन इस नये बिल के जरिये वह भारत पर दबाव नहीं बना सकता। भारत को इससे डरने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि नई बन रही विश्व-संरचना में यह बिल अधिक प्रभावी नहीं बन सकेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर 2026 को यह विधेयक पारित किया है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि 100 प्रतिशत टैरिफ स्वतः लागू नहीं हुआ है, विधेयक राष्ट्रपति को ऐसा शुल्क लगाने का अधिकार देता है। भारत के संदर्भ में यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस भारत के ऊर्जा आयात का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। अगस्त 2026 में भारत रूस से लगभग 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात कर रहा था।

- ललित गर्ग

विश्व राजनीति में शक्ति केवल सैन्य क्षमता या आर्थिक आकार से निर्धारित नहीं होती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि कोई महाशक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल किस प्रकार करती है। आज अमेरिका की व्यापार एवं प्रतिबंध नीति इसी कसौटी पर बहस के केंद्र में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंधों को विदेश नीति के प्रमुख उपकरणों के रूप में अधिक आक्रामक ढंग से इस्तेमाल किया है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर संभावित 100 प्रतिशत तक टैरिफ का अधिकार देने वाला नया अमेरिकी विधेयक इसी बदलते रुख का ताजा उदाहरण है, लेकिन इस नये बिल के जरिये वह भारत पर दबाव नहीं बना सकता। भारत को इससे डरने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि नई बन रही विश्व-संरचना में यह बिल अधिक प्रभावी नहीं बन सकेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर 2026 को यह विधेयक पारित किया है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि 100 प्रतिशत टैरिफ स्वतः लागू नहीं हुआ है, विधेयक राष्ट्रपति को ऐसा शुल्क लगाने का अधिकार देता है। भारत के संदर्भ में यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस भारत के ऊर्जा आयात का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। अगस्त 2026 में भारत रूस से लगभग 1.6 मिलियन बैरल



प्रतिदिन कच्चा तेल आयात कर रहा था। ऐसे में यदि अमेरिकी राष्ट्रपति इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सीधा असर भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर पड़ सकता है और साथ ही भारत की ऊर्जा लागत पर भी दबाव बन सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

यहीं से असली सवाल उठता है-क्या व्यापारिक टैरिफ अब केवल व्यापार संतुलन सुधारने का साधन रह गए हैं या वे विदेश नीति को मनवाने का माध्यम भी बनते जा रहे हैं? अमेरिका और भारत के बीच व्यापार छोटा नहीं है। 2025 में दोनों देशों का वस्तु एवं सेवा व्यापार लगभग 239.6 अरब डॉलर रहा और अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका ने भारत से 103.8 अरब डॉलर की वस्तुएं आयात

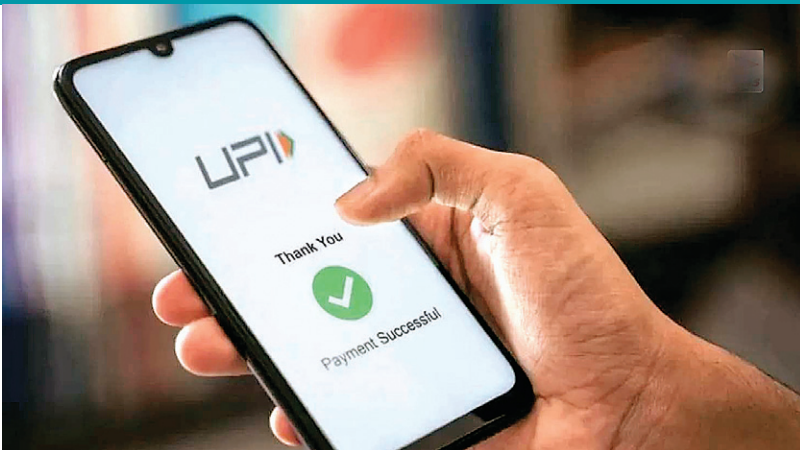
की। इसलिए किसी बड़े अतिरिक्त टैरिफ का असर केवल भारत पर नहीं पड़ेगा, अमेरिकी आयातकों, उपभोक्ताओं और दोनों देशों की कंपनियों पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। भारत के लिए चुनौती दोहरी है। पहली चुनौती अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने की है और दूसरी ऊर्जा सुरक्षा की। यदि रूसी तेल पर निर्भरता अचानक घटानी पड़े तो भारत को वैकल्पिक स्रोतों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में पहले से मौजूद अस्थिरता ऐसी स्थिति को और जटिल बना सकती है। दूसरी ओर अमेरिका को भी यह देखना होगा कि अत्यधिक टैरिफ से वैश्विक तेल आपूर्ति, कीमतों और अपने सहयोगी देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मौजूदा कानून में राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रीय हित के आधार पर छूट की गुंजाइश भी रखी गई है।

यूपीआई शुल्क: सुविधाओं का विस्तार या उपभोक्ता पर बोझ ?

- ललित गर्ग

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में यूपीआई केवल भुगतान का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि वह रोजमर्रा के आर्थिक व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सब्जी वाले से लेकर बड़े कारोबारी तक, टैक्सी से लेकर ऑनलाइन खरीदारी तक और घरेलू लेन-देन से लेकर व्यावसायिक भुगतान तक-यूपीआई ने पैसे के लेन-देन की आदत, गति और भाषा तीनों बदल दी हैं। ऐसे में यूपीआई से जुड़े शुल्क की व्यवस्था केवल बैंकिंग या फिनटेक कंपनियों का कारोबारी विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध उपभोक्ता की आदत, छोटे व्यापार की लागत और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा से है। यहां एक तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। सितंबर 2026 में सरकार ने जो नया ढांचा स्पष्ट किया है, उसके अनुसार व्यक्ति से व्यक्ति यानी पी2पी को यूपीआई भुगतान किसी भी राशि पर निःशुल्क रहेगा। ₹.2,000 तक के व्यापारी भुगतान पर भी एमडीआर नहीं है। ₹.2,000 से अधिक के कुछ पी2एम यानी ग्राहक से व्यापारी भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर का प्रावधान किया गया है और ₹.75,000 या उससे अधिक के लेन-देन पर प्रति लेन-देन अधिकतम ₹. 300 की सीमा रखी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह शुल्क ग्राहक से सीधे वसूल किया जाने वाला लेन-देन शुल्क नहीं है, बल्कि व्यापारी-पक्ष का एमडीआर है।

फिर भी इस बदलाव को केवल 'शुल्क लगा या नहीं लगा' के प्रश्न तक सीमित करना उचित नहीं होगा। असली सवाल यह है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ कैसे बनाया जाए और उसकी लागत किसके हिस्से में जाए। यूपीआई की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी सरलता और लगभग बिना



लागत की अनुभूति रही है। अगस्त 2026 में यूपीआई पर करीब 24.51 अरब लेन-देन हुए, जिनका कुल मूल्य लगभग ₹.29.82 लाख करोड़ रहा। यह आंकड़ा बताता है कि यूपीआई अब किसी वैकल्पिक भुगतान माध्यम की श्रेणी में नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक जीवन के बुनियादी ढांचे में शामिल हो चुका है। यूपीआई के इस विस्तार के पीछे एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है। लोगों ने डिजिटल भुगतान को केवल सुविधा नहीं, स्वाभाविक व्यवहार मान लिया है। पहले दस रुपये, पचास रुपये या सौ रुपये के लिए जेब से नकद निकालना सामान्य थाय आज वही भुगतान मोबाइल से कुछ सेकंड में हो जाता है। जब कोई सेवा वर्षों तक निःशुल्क उपलब्ध रहती है तो उपभोक्ता उसके पीछे मौजूद तकनीकी, बैंकिंग और साइबर-सुरक्षा लागत को लगभग भूल जाता है। इसलिए बाद में किसी प्रकार का शुल्क या लागत सामने आने पर स्वाभाविक रूप से असहजता पैदा होती है।

यहीं आधुनिक बाजार व्यवस्था की एक बड़ी विसंगति दिखाई देती है। अनेक डिजिटल और उपभोक्ता सेवाएं पहले मुफ्त, अत्यंत सस्ती या भारी छूट के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं।

उपभोक्ता को उस सुविधा का अभ्यस्त बनाया जाता है, बाजार में उसका व्यवहार बदलता है और प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के बाद लागत की नई संरचना सामने आती है। ओला-उबर जैसी सेवाओं से लेकर ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल सदस्यता और विभिन्न प्लेटफॉर्म सेवाओं तक इस मॉडल के अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं। यह कहना उचित नहीं होगा कि हर मामले में यही रणनीति अपनाई जाती है, लेकिन उपभोक्ता के दृष्टिकोण से प्रश्न महत्वपूर्ण है-यदि किसी सेवा की दीर्घकालिक लागत है तो उसकी जानकारी शुरुआत से स्पष्ट क्यों न हो? यूपीआई के मामले में यह प्रश्न और गंभीर है क्योंकि इसके उपयोगकर्ता केवल शहरी मध्यमवर्ग नहीं हैं। छोटे दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू उद्यमी, ग्रामीण उपभोक्ता और पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े लोग भी इसके बड़े हिस्से हैं। सरकार की 2025 की प्रोत्साहन योजना में भी छोटे व्यापारियों के ₹.2,000 तक के भीम-यूपीआई भुगतान को शून्य एमडीआर के दायरे में रखते हुए ₹.1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ाना और भुगतान

ढांचे को मजबूत करना था।

इसलिए शुल्क की किसी भी व्यवस्था का पहला सिद्धांत होना चाहिए-छोटे भुगतान और छोटे कारोबार की रक्षा। ₹.100, ₹.500 या ₹.1,000 के भुगतान पर लागत बढ़ाने वाला मॉडल डिजिटल समावेशन की भावना के विपरीत जा सकता है। इसके विपरीत बड़े व्यावसायिक भुगतान से जुड़ी लागत को अलग तरीके से देखा जा सकता है, बशर्ते शुल्क पारदर्शी, सीमित और पूर्व घोषित हो तथा उसका भार अनुचित रूप से ग्राहक पर न डाला जाए। यहां डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। यूपीआई के व्यापक प्रसार ने कार्ड भुगतान को रोजमर्रा के छोटे भुगतानों में पीछे धकेला है। यदि यूपीआई के कुछ बड़े व्यापारी लेन-देन पर लागत बढ़ती है तो कुछ कारोबारी वैकल्पिक भुगतान माध्यमों की ओर देख सकते हैं। कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या अन्य डिजिटल माध्यम फिर कुछ क्षेत्रों में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। इससे भुगतान बाजार में विविधता बढ़ सकती है, लेकिन यदि उपभोक्ता को हर माध्यम में अलग-अलग शुल्क, सुविधा और शर्तों का सामना करना पड़े तो डिजिटल भुगतान की सरलता कमजोर भी हो सकती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य केवल माध्यम बदलना नहीं, बल्कि उपभोक्ता को बेहतर विकल्प देना होना चाहिए।

दूसरी ओर यूपीआई को मुफ्त बनाए रखने की भी कीमत है। भुगतान प्रणाली को चौबीसों घंटे चलाने के लिए बैंकिंग सर्वर, डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने वाली प्रणालियां, ग्राहक सहायता और तकनीकी उन्नयन पर लगातार खर्च होता है। जैसे-जैसे लेन-देन बढ़ते हैं, वैसे-वैसे विश्वसनीयता और क्षमता पर निवेश की आवश्यकता भी बढ़ती है। सरकार की 2025 की योजना में भी तकनीकी विफलताओं को घटाने और सिस्टम अपटाइम सुधारने को प्रोत्साहन से जोड़ा गया था।

राशिफल

मेष राशि :- इष्ट मित्रों से लाभ होगा, भोग-ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, रुके कार्य बनेंगे।

वृष राशि :- अपनों से तनाव, प्रत्येक कार्य में बाधा होगी, लाभकारी योजना हाथ से निकल जायेगी।

मिथुन राशि :- धन लाभ, आशानुकूल सफलता का हर्ष होगा, कार्यवृत्ति में सुधार होगा, कार्य बनेंगे।

कर्क राशि :- कार्य योजना फलीभूत हो, दैनिक सफलता के कार्य संभव होंगे।

सिंह राशि :- इष्ट मित्रों से सुखवर्धक हो, मनोबल उत्साहवर्धक बना ही रहेगा, कार्यगति में सुधार होगा।

कन्या राशि :- आशानुकूल सफलता से हर्ष होगा, दैनिक व्यवसाय में सुधार होगा, चिन्ता मुक्त होंगे।

तुला राशि :- आर्थिक योजना सफल होगी, समय पर सोचे कार्य बनेंगे तथा किसी के धोखे से बचेंगे।

वृश्चिक राशि :- दूसरों के कार्य में भटकना पड़ेगा, समय को बचाकर चलने से लाभ ही होगा।

धनु राशि :- दैनिक कार्यगति में सुधार होगा, कार्ययोजना फलीभूत होगी, कार्य का ध्यान रखें।

मकर राशि :- किसी का कार्य बनने से संतोष होगा, चिन्ता निवृत्ति होगी, व्यवसायिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ राशि :- स्त्री शरीर कष्ट, मानसिक बेचैनी रहेगी, उद्धिग्नता व विद्या बाधा, कार्य बाधा बनेगी।

मीन राशि :- भाग्य का सिलारा प्रबल हो, बिगाड़े कार्य बनेंगे, मित्र सहयोगियों से लाभ होगा।



achleshwarexpress



@achleshwarexpressnews



achleshwarexpress_



+8815168901



@achleshwarnews



https://achleshwarexpress.com

इसलिए गणेश भगवान को कहते हैं आदिपूज्य

आजकल सभी जगह भगवान गणेश विराजे हैं। इसके साथ ही पर्वों की भागवान गणेश सभी बाधाएं दूर करते हैं इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता या विघ्ननाशक भी कहा जाता है। सनातन धर्म में उनका नाम लेकर ही कोई नया काम शुरू किया जाता है।

गणेश शिवजी और पार्वती के पुत्र हैं। गणों के स्वामी होने के कारण उनका एक नाम गणपति भी है। हाथी जैसा सिर होने के कारण उन्हें गजानन भी कहते हैं। इनको केतु का देवता माना जाता है और जो भी संसार के साधन हैं। उनके स्वामी श्री गणेशजी हैं। गणेश जी का नाम हिन्दू शास्त्रों के अनुसार किसी भी कार्य के लिये पहले पूज्य है। इसलिए इन्हें आदिपूज्य भी कहते हैं। गणेश कि उपसना करने वाला सम्प्रदाय गाणपतेय कहलाते हैं। भागवान गणेश को अनेक नामों से जाना जाता है।

एकदंत : भगवान परशुराम के फरसे के वार से गणेश जी का एक दांत टूट गया था जिसके बाद उन्हें एक दांत के नाम से जाना गया।

लम्बोदर : भगवान श्रीगणेश लंबे पेट वाले हैं। उनके पेट में सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए उन्हें लम्बोदर के नाम से जाना जाता है।

विनायक : श्री गणेश एक न्याय प्रिय देवता है। वो अपने भक्तों के साथ हमेशा न्याय करते हैं। इसलिए उन्हें विनायक नाम से भी पुकारा जाता है।

गजानंद : जब भगवान शंकर ने उनका सिर काट कर हाथी का मुख लगाया था इसके बाद से उन्हें गजानंद के नाम से जाना जाता है।

विघ्ननाशक : श्री गणेश प्रथम पूज्य देवता तो हैं ही साथ ही वो विघ्नों का नाश करने वाले हैं। इसलिए उनके भक्त उन्हें विघ्नहर्ता या विघ्ननाशक के नाम से बुलाते हैं।

इसलिए भगवान गणेश को नहीं चढ़ती तुलसी

भगवान गणेश की पूजा में कभी भी तुलसी का इस्तेमाल नहीं होता। पञ्चपुराण आचाररत्न में भी लिखा है कि 'न तुलस्या गणाधिपम' अर्थात् तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी न करें। इसके पीछे भी पौराणिक कथा है। गणेश जी ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, पर उन्हें तुलसी के कारण ही दो विवाह करने पड़े। तभी से उनकी पूजा में इसे नहीं चढ़ाया जाता। कथा के अनुसार, एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। तब तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर थी और वह भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंचीं।

वहां तपस्या में लीन गणेश को देखकर तुलसी गणेशजी पर आसक्त हो गईं।

तुलसी ने विवाह करने की इच्छा से गणेशजी का ध्यान भंग कर दिया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया। जब तुलसी ने गणेश के सामने विवाह की मंशा बताई, तो उन्होंने स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर तुलसी के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

इससे दुखी हो तुलसी ने आवेश में आकर गणेशजी को श्राप दे दिया कि उनके दो विवाह होंगे। इसी वजह से आगे चलकर गणेशजी ने ऋद्धि और सिद्धि से विवाह किया।

इस पर गणेशजी ने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा।

एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर तुलसी ने गणेशजी से क्षमा मांगी। तब विघ्नहर्ता गणेश ने तुलसी से कहा कि बाद में तुम एक पौधे का रूप धारण करोगी जो सभी का कल्याण करेगा। भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में लोगों को मोक्ष दोगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग वर्जित होगा। कहा जाता है कि तभी से गणेशजी पर तुलसी चढ़ाना मना है।

वास्तुदोष दूर करने करें गणपति पूजा

वास्तु दोष से मुक्त सुन्दर व अच्छा घर बनाना या उसमें रहना हर व्यक्ति की इच्छा होती है पर थोड़ा सा भी वास्तु दोष आपको काफी कष्ट दे सकता है लेकिन वास्तु दोष निवारण के महंगे उपायों को अपनाने से पहले विघ्नहर्ता गजानन के आगे मस्तक जरूर टेक लें क्योंकि आपके कई वास्तु दोषों का ईलाज गणपति पूजा से ही हो जाता है।

वास्तु पुरुष की प्रार्थना पर ब्रह्मजी ने वास्तुशास्त्र के नियमों की रचना की थी। यह मानव कल्याण के लिए बनाया गया था, इसलिए इनकी अनदेखी करने पर घर के सदस्यों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है।

अतः वास्तु देवता की संतुष्टि के लिए भगवान गणेश जी को पूजना बेहतर लाभ देगा। इनकी आराधना के बिना वास्तुदेवता को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बिना तोड़-फोड़ अगर वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो इन्हें आजमाएं।

गणपति जी का वंदन कर वास्तुदोषों को शांत किए जाने में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। मान्यता यह है कि नियमित गणेश जी की आराधना से वास्तु दोष उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होती है। इससे घर में खुशहाली आती है और तरक्की होती है।

मुख्य द्वार पर लगाये प्रतिमा

यदि घर के मुख्य द्वार पर एकदंत की प्रतिमा या चित्र लगाया गया हो तो उसके दूसरी तरफ ठीक उसी जगह पर गणेश जी की प्रतिमा इस प्रकार लगाए कि दोनों गणेशजी की पीठ मिली रहे। इस प्रकार से दूसरी प्रतिमा या चित्र लगाने से वास्तु दोषों का शमन होता है। भवन के जिस भाग में वास्तु दोष हो उस स्थान पर घी मिश्रित सिंदूर से स्वास्तिक दीवार पर बनाने से वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है।

घर या कार्यस्थल के किसी भी भाग में वक्रतुण्ड की प्रतिमा अथवा चित्र लगाए जा सकते हैं। किंतु प्रतिमा लगाते समय यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में इनका मुंह दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण में नहीं हो। इसका विपरीत प्रभाव होता है।

घर में बैठे हुए गणेश जी तथा कार्यस्थल पर खड़े गणपति जी का चित्र लगाना चाहिए, किंतु यह ध्यान रखें कि खड़े गणेश जी के दोनों पैर जमीन का स्पर्श करते हुए हों। इससे कार्य में स्थिरता आने की संभावना रहती है।

भवन के ब्रह्म स्थान अर्थात् केन्द्र में, ईशान कोण एवं पूर्व दिशा में सुखकर्ता की मूर्ति अथवा चित्र लगाना शुभ रहता है। किंतु टॉयलेट अथवा ऐसे स्थान पर गणेशजी का चित्र नहीं लगाना चाहिए जहां लोगों को थूकने आदि से रोकना हो। यह गणेशजी के चित्र का अपमान होगा। सुख, शांति, समृद्धि की चाह रखने वालों के लिए घर में सफेद रंग के विनायक की मूर्ति, चित्र लगाना चाहिए।

सिंदूरी रंग के गणपति की आराधना अनुकूल नहीं

सर्व मंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंग के गणपति की आराधना अनुकूल रहती है। इससे शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। विघ्नहर्ता की मूर्ति अथवा चित्र में उनके बाएं हाथ की ओर सूंड घुमी हुई हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दाएं हाथ की ओर घुमी हुई सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं तथा उनकी साधना-आराधना कठिन होती है। शास्त्रों में कहा गया है

कि दाएं सूंड वाले गणपति देर से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं।

मंगल मूर्ति भगवान को मोदक एवं उनका वाहन मूषक अतिप्रिय है। अतः घर में चित्र लगाते समय ध्यान रखें कि चित्र में मोदक या लड्डू और चूहा अवश्य होना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है। इस तरह आप भी बिना तोड़-फोड़ के गणपति पूजन के द्वारा से घर के वास्तुदोष को दूर कर सकते हैं।

घरेलू क्रिकेट से दूरी बन रही समस्या

संदीप पाटिल की नसीहत: भारतीय बल्लेबाजों को विदेश में भी साबित करना होगा खुद को

नई दिल्ली (ए)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल ने भारतीय क्रिकेटर्स के हाल के प्रदर्शन और टेस्ट क्रिकेट के प्रति उनके रवैये पर बेबाक टिप्पणी की है। पाटिल ने साफ शब्दों में कहा है कि युवा खिलाड़ियों जैसे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को केवल घरेलू पिचों पर रन बनाने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें विदेशी सरजमीं पर भी अपनी असल काबिलियत साबित करनी होगी। पाटिल ने अभिषेक शर्मा की प्रतिभा को स्वीकार करते हुए कहा कि भले ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में विस्फोटक शतक जड़कर अपनी ताकत दिखाई हो, लेकिन क्रिकेट का असली पैमाना विदेशी दौरों पर तय होता है।

संदीप पाटिल के अनुसार, अभिषेक को यह साबित करना होगा कि वह केवल भारतीय उपमहाद्वीप की सपाट पिचों के ही नहीं, बल्कि विदेशी पिचों के भी माहिर खिलाड़ी हैं। वहीं,



युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के इंग्लैंड दौर पर संघर्ष का जिक्र करते हुए पाटिल ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि इंग्लैंड की स्विंग और तेज पिचों पर भारतीय युवाओं को अपनी तकनीक में काफी सुधार करने की जरूरत है। घर में रन बनाना आसान हो सकता है, लेकिन असली परीक्षा दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे सेना देशों में होती है।

पाटिल ने भारतीय टीम की टेस्ट

क्रिकेट की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने चिंता जताई कि आज भारतीय खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट की बुनियादी तैयारियों पर उस तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब विदेशी टीमों भारत के दौर पर आती हैं, तो वे हमारे खिलाड़ियों और हमारी पिचों के खिलाफ बहुत तगड़ा होमवर्क करके मैदान पर उतरती हैं, जबकि हम अपनी रणनीतियों और तैयारियों में कहीं न कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं।

जापान के आइची-नागोया एशियाई खेलों में महिला वॉलीबॉल के प्रारंभिक दौर के मुकाबले में कजाखस्तान की इरीना कुज्नेत्सोवा चीन के खिलाफ खेलते हुए। मुकाबला ओकाजाकी में हुआ।

30 रन के ओवर ने ईशांत शर्मा को तोड़ा, किया मुश्किल दौर का खुलासा

मंगेतर प्रतिमा सिंह ने डिप्रेशन से निकालकर बचाया करियर

नई दिल्ली (ए)। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने हाल ही में अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर का खुलासा किया है, जिसमें एक समय वह क्रिकेट से नफरत करने लगे थे और गहरे डिप्रेशन में चले गए थे। यह वाक्या साल 2013 का है, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक रोमांचक वनडे मैच में उनके एक ओवर ने भारत को जीत के करीब आकर हार का सामना करने पर मजबूर कर दिया था। मैच अपने अंतिम पड़ाव पर था और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी तीन ओवरों में 44 रनों की दरकार थी। कप्तान ने भरोसा जताते

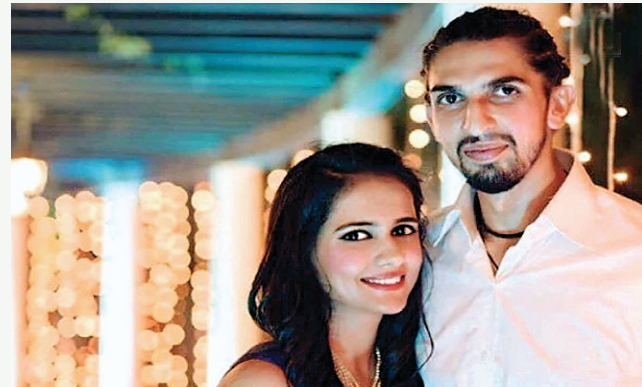
हुए गेंद ईशांत शर्मा के हाथों में सौंपी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जेम्स फॉकनर ने ईशांत के उस ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 30 रन बटोर लिए, जिससे भारतीय टीम ने आसानी से जीतता हुआ मैच गंवा दिया। इस हार का सारा बोझ ईशांत के कंधों पर आ गया।

मैच खत्म होने के बाद ईशांत पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगा कि उनकी एक गलती ने पूरे देश की उम्मीदों और टीम इंडिया की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस घटना के

बाद वह गहरे डिप्रेशन की चपेट में आ गए और लगातार 15 दिनों तक खुद को कमरे में बंद कर रोते रहे। क्रिकेट के प्रति उनका प्यार ही उनके लिए सबसे बड़े मानसिक तनाव का कारण बन गया था। जब ईशांत निराशा के सबसे गहरे अंधेरे में डूब रहे थे, तब उनके जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आई उनकी तत्कालीन मंगेतर और अब पत्नी प्रतिमा सिंह। एक एथलीट होने के नाते, प्रतिमा खेल के दबाव को बखूबी समझती थीं। उन्होंने ईशांत को अकेले रोने के बजाय सच्चाई का सामना करने का साहस दिया।

प्रतिमा ने उनसे साफ शब्दों में कहा, क्रिकेट को सिर पर मत चढ़ाओ, जिंदगी बहुत बड़ी है। आज तुम्हारे पास दो रास्ते हैं या तो घर पर बैठकर उस एक ओवर पर रोते रहो, या फिर मैदान में वापस निकलकर इतनी कड़ी मेहनत करो कि यह हार भी तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाए।

प्रतिमा की इस कड़वी लेकिन सच्ची सलाह ने ईशांत के सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी गेंदबाजी पर कड़ी मेहनत की और मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाया। इस मेहनत का फल मिला



और ईशांत शर्मा ने मैदान पर नई ऊर्जा के साथ वापसी की। जो गेंदबाज कभी 30 रन देने के बाद डिप्रेशन में चला गया था, उसी ईशांत ने अपनी धारदार गेंदबाजी से दुनिया

के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को खौफ में डाला और भारत के लिए 100 से अधिक टेस्ट मैच खेलने वाले चुनिंदा तेज गेंदबाजों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया।

हीरो मोटर्स आईपीओ को निवेशकों का जोरदार रिस्पॉन्स

मुंबई (ए)। हीरो मोटर्स के इनीशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जो तीसरे और आखिरी दिन कुल 7.01 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। हालांकि, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर के प्रति उत्साह ठंडा पड़ा है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम शून्य पर पहुंच गया है, जिससे लिस्टिंग के फ्लैट रहने के संकेत मिल रहे हैं। यह इश्यू तीसरे और आखिरी दिन कुल 7.01 गुना सब्सक्राइब हुआ। गैर-संस्थागत निवेशकों ने 10.47 गुना और खुदरा निवेशकों ने 8.62 गुना बोलियां लगाईं, जबकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 1.59 गुना बना। हालांकि, अनलिस्टेड मार्केट में हीरो मोटर्स के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम शून्य पर है, जो 84 रुपए के इश्यू प्राइस पर फ्लैट लिस्टिंग का संकेत देता है। 1,000 करोड़ रुपए के इस आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, प्लांट की क्षमता बढ़ाने और रणनीतिक अधिग्रहण में होगा। कंपनी की आय वित्त वर्ष 2026 में 9 फीसदी और मुनाफा 26 फीसदी बढ़ा है। पावरस्टेन सॉल्यूशंस बनाने वाली हीरो मोटर्स के शेयरों का आवंटन 21 सितंबर 2026 और लिस्टिंग 23 सितंबर 2026 को संभावित है।



ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित 'एवरीथिंग इलेक्ट्रिक' प्रदर्शनी में दर्शक चेरी की इलेक्ट्रिक कार देखते हुए। यह तीन दिवसीय प्रदर्शनी 18 से 20 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है।

आईसीआईसीआई बैंक ने वेबसाइट और नेट बैंकिंग के यूआरएल बदले

नई दिल्ली (ए)। आईसीआईसीआई बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। बैंक ने अपनी वेबसाइट और नेट बैंकिंग के वेब पते (यूआरएल) में बदलाव किया है। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के तहत उठाया गया है, जिसके तहत बैंक को अपने पुराने डोमेन को नए डॉटबैंकडॉटइन डोमेन पर स्थानांतरित करना पड़ा है। बैंक द्वारा ग्राहकों को भेजी गई सूचना अनुसार, नेट बैंकिंग का पुराना पता रिटेलबैंकिंगडॉट आईसीआईसीआई बैंक डॉटकॉम अब बदलकर रिटेल बैंकिंग डॉटआईसी आईसीआई बैंक डॉटइन कर दिया गया है।

कर्नाटक में दूध 8 रुपए महंगा करने की मांग, सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम

बैंगलूर (ए)। कर्नाटक के उपभोक्ताओं को जल्द ही दूध के बढ़े हुए दाम का झटका लग सकता है। राज्य के दुग्ध उत्पादक संघों ने दूध की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की भारी वृद्धि की मांग की है, और इस संबंध में सरकार को तीन दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। यह मांग बैंगलूर प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई। दुग्ध उत्पादक संघों का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत और दूध के घटते उत्पादन ने उन पर भारी दबाव डाला है। बामुल, चामुल और मांड्या मिल्क जैसे बड़े मिल्क यूनियन इस मांग के पक्ष में हैं। उन्होंने सरकार से दूध उत्पादकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन (इंसेंटिव) में भी बढ़ोतरी की मांग की है। बामुल मिल्क यूनियन के प्रेसिडेंट ने बताया कि डेयरी एसोसिएशन पिछले आठ महीनों से सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। डेयरी किसान इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। कम बारिश के कारण हरे चारे की कमी



है, वहीं पशु आहार और कच्चे माल की कीमतों में 2.5 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ने से दूध उत्पादन की कुल लागत काफी बढ़ गई है, जिससे किसानों के लिए मवेशी पालना मुश्किल हो रहा है। संघों ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिनों के भीतर कैबिनेट की बैठक बुलाकर फैसला नहीं लिया गया, तो वे विधान सौध तक विरोध मार्च निकालेंगे। यदि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहारों से ठीक पहले नदिनी जैसे ब्रांड का दूध बेहद महंगा हो जाएगा। इससे न केवल रसोई का बजट गड़बड़ाएगा, बल्कि मिठाई और अन्य डेयरी उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू सकती हैं।



सुपावली में जन-विश्वास का छट्वां पड़ाव, 91 शिकायतों का मौके पर निराकरण

किसानों को उद्यानिकी, उन्नत पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण अपनाने की सलाह, युवाओं ने उद्यमिता की सफलता साझा कर रोजगार सृजन का दिया संदेश

अचलेश्वर एक्सप्रेस

ग्वालियर। 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान' के तहत मुरार विकासखंड के ग्राम सुपावली में आयोजित छठवें जिला स्तरीय जन-विश्वास शिविर में प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद देखने को मिला। शिविर में सीएम हेल्पलाइन की 91 शिकायतों का निराकरण किया गया, जबकि ग्रामीणों द्वारा लगभग 100 आवेदन सीधे प्रस्तुत किए गए, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। इसके अलावा 38 आवेदनों को आगे निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज किया गया। शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली लक्ष्मी योजना तथा गर्भवती माताओं के लिए पोषण आहार किट के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। स्वास्थ्य जांच, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अलग-अलग काउंटर लगाए गए, वहीं दिव्यांगजनों के प्रमाण-पत्र बनाने के लिए मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था भी की गई। शिविर में सांसद भारत सिंह कुशवाह ने किसानों से



पारंपरिक खेती के साथ उद्यानिकी, उन्नत पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, आचार्य विद्यासागर योजना सहित उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि युवा योजनाओं का लाभ लेकर स्वयं उद्यम स्थापित करें और रोजगार

तलाशने के बजाय दूसरों को रोजगार देने वाले बनें। उद्यमी संवाद में ग्राम सौसा के रवि कुमार यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 8.75 लाख रुपये अनुदान सहित 25 लाख रुपये का ऋण लेकर उन्होंने ऑयल मिल स्थापित की और आज 15 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उनकी इकाई का वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

टिहौली के दिव्यांग युवक आसीन अली ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से चार लाख रुपये का ऋण लेकर पशु आहार की दुकान शुरू की और तीन लोगों को रोजगार दिया। जनारपुरा के धीर सिंह ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से कैटरिंग व्यवसाय खड़ा कर लगभग आठ लाख रुपये वार्षिक आय अर्जित करने की बात साझा की। इसी तरह अन्य युवाओं ने भी विभिन्न सरकारी योजनाओं से व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भरता की मिसाल प्रस्तुत की। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर संवाद में प्रशांत पटेरिया ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग जनहितकारी योजनाओं और जरूरतमंद लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने स्वच्छता और वृक्षारोपण जैसे कार्यों से जुड़कर प्रतिदिन सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई के लिए समय देने की जानकारी दी। शिविर से पहले कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सोजान सिंह रावत ने सुपावली के आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय और हाईस्कूल का

निरीक्षण किया। विद्यालयों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए पंचायत निधि से साफ-सफाई, भवन एवं छत की मरम्मत, विद्युत फिटिंग और रंगाई-पुताई कराने के निर्देश दिए गए। व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित प्राचार्य, प्रभारी प्रधानाध्यापक, पंचायत सचिव और आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के संबंध में कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने राजस्व और पेयजल से जुड़ी समस्याओं के तत्काल निराकरण के लिए अधिकारियों को मौके पर भेजा और शेष मामलों के लिए समय-सीमा निर्धारित की। शिविर के दौरान नहीं बालिका भूमि ने 'तितली उड़ी, बस पर चढ़ी...' और दिवांशी ने 'मछली जल की रानी है...' कविता सुनाकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। जन-विश्वास शिविर ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि योजनाओं की जानकारी, शिकायतों का समाधान, रोजगार के अवसर और स्थानीय समस्याओं पर प्रशासनिक कार्यवाही-इन सभी को एक मंच पर लाकर ग्रामीणों तक शासन की सेवाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने रक्तदान कर दिया मानवता की सेवा का प्रेरक संदेश

सेवा-संकल्प अभियान के तहत जिला चिकित्सालय मुरार में किया रक्तदान, शासकीय सेवकों से भी आगे बढ़कर सहभागी बनने का आह्वान

अचलेश्वर एक्सप्रेस

ग्वालियर। सेवा-संकल्प अभियान के तहत जिला चिकित्सालय मुरार में आयोजित रक्तदान पहल में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने स्वयं रक्तदान कर मानवता की सेवा का प्रेरक संदेश दिया। कलेक्टर द्वारा स्वयं आगे बढ़कर रक्तदान करने से अभियान को एक सकारात्मक संदेश मिला और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान के महत्व को भी रेखांकित किया गया।

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कहा कि रक्तदान केवल एक सामाजिक गतिविधि नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाने में प्रत्यक्ष योगदान देने का माध्यम है। एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान किसी दूसरे व्यक्ति और उसके परिवार के लिए नई उम्मीद बन सकता है। इसी भावना के साथ उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए आगे आने का



संदेश दिया।

उन्होंने विशेष रूप से शासकीय

सेवकों से भी रक्तदान अभियान में सक्रिय सहभागिता करने और सेवा के

इस पुनीत कार्य को जनभागीदारी के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उनका कहना है कि समाज में सेवा और सहयोग की भावना को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि सक्षम लोग स्वयं आगे बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत करें।

सेवा-संकल्प अभियान के माध्यम से रक्तदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंदों तक समय पर रक्त उपलब्ध कराने की भावना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान का स्वयं रक्तदान करना इसी सेवा भावना को व्यवहार में उतारने वाला कदम रहा। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि स्वस्थ और पात्र व्यक्ति आगे आए तथा रक्तदान को मानवता की सेवा के संकल्प से जोड़ें।

रक्तदान किसी के लिए सिर्फ रक्त की एक यूनिट नहीं, बल्कि जीवन की एक नई उम्मीद हो सकता है।

बच्चों के साथ मंत्री कुशवाह ने देखी '2 लिटिल इंडियंस' फिल्म



ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र स्थित काजल टॉकीज में बच्चों के लिए विशेष फिल्म प्रदर्शन का आयोजन किया गया। चिल्ड्रेन चलचित्र एवं दिव्यांग वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ '2 लिटिल इंडियंस' फिल्म देखी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। मंत्री कुशवाह ने बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ फिल्म का आनंद लिया। बच्चों की मासूम मुस्कान और उत्साह से सिनेमाघर का माहौल उल्लास से भर गया।

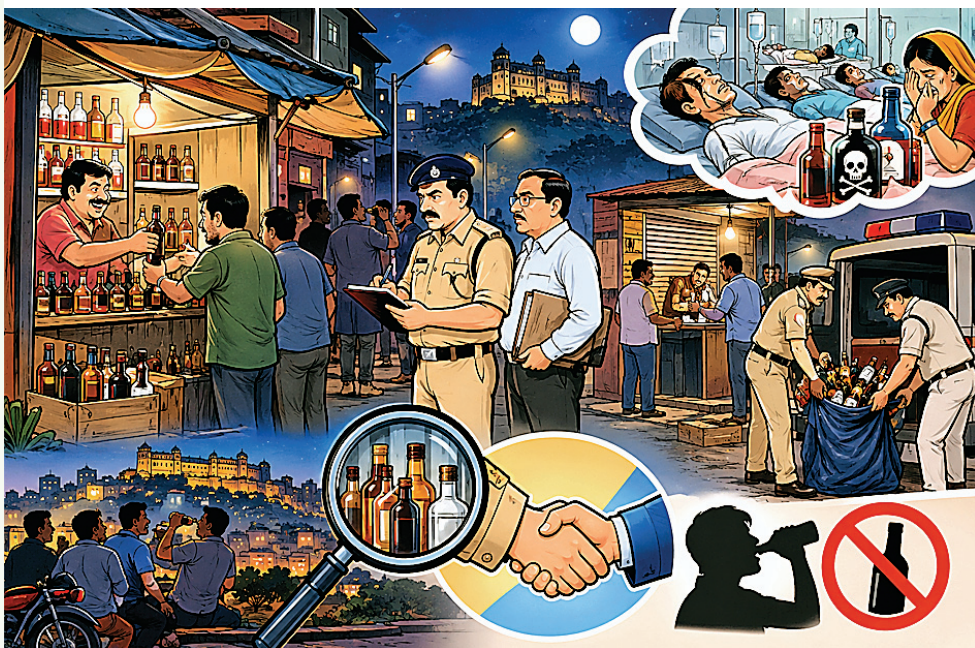
इस अवसर पर मंत्री कुशवाह ने कहा कि बच्चों के लिए इस तरह के आयोजन केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होते, बल्कि उन्हें देशप्रेम, संस्कार, सकारात्मक सोच और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना से जोड़ने का भी माध्यम बनते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास और उनका उज्ज्वल भविष्य समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने वाले कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाने चाहिए। ऐसे आयोजन बच्चों को स्वस्थ, संस्कारयुक्त और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

थाना क्षेत्रों से लेकर कलारियों तक रात में शराब की बिक्री, पुलिस और आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल

ग्वालियर में खुलेआम शराब बिक्री का खेल, कार्रवाई के बाद भी नहीं थम रहा कारोबार

अचलेश्वर एक्सप्रेस

ग्वालियर। सागर में जहरीली शराब से हुई त्रासदी ने पूरे प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार और उसकी निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। ऐसी घटनाओं के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि संभावित खतरे वाले स्थानों की पहचान कर समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जाए। ग्वालियर जैसे बड़े शहर में भी यदि रात के समय शराब की बिक्री और नियमों के विपरीत शराब उपलब्ध होने की शिकायतें लगातार सामने आती हैं, तो यह केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा मामला बन जाता है। किसी बड़े हादसे के बाद कार्रवाई करने की बजाय उससे पहले ही ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। सवाल यही है कि ग्वालियर में निगरानी व्यवस्था कितनी मजबूत है और क्या वह संभावित खतरे को हादसे में बदलने से पहले रोकने में सक्षम है?



सागर जैसी त्रासदी से पहले क्यों नहीं चेत रहा ग्वालियर?

हर थाना क्षेत्र में शराब की उपलब्धता ने बढ़ाई चिंता

ग्वालियर शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में शराब की बिक्री को लेकर समय-समय पर शिकायतें और चर्चाएं सामने आती रही हैं। कई स्थानों पर निर्धारित समय के बाद भी शराब उपलब्ध होने की बात कही जाती है। यदि शराब की दुकानें बंद होने के बाद भी लोगों को आसानी से शराब मिल रही है, तो यह निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा करता है। नियमों के अनुसार शराब बिक्री के लिए निर्धारित समय और लाइसेंस की शर्तों का पालन आवश्यक है। ऐसे में पुलिस और आबकारी विभाग दोनों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे केवल शिकायत आने के बाद कार्रवाई न करें, बल्कि नियमित रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करें। लगातार उपलब्धता का बना रहना इस बात की मांग करता है कि कार्रवाई के साथ-साथ उसके परिणामों की भी समीक्षा हो।

रात ढलते ही सक्रिय होती शराब बिक्री, निगरानी व्यवस्था पर सवाल: शहर में रात के समय शराब की बिक्री का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। निर्धारित समय के बाद शराब उपलब्ध होना केवल नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ नशे में वाहन चलाने, सार्वजनिक स्थानों पर विवाद और कानून-व्यवस्था की अन्य समस्याओं का जोखिम भी बढ़ सकता है। इसके बावजूद यदि रात में शराब आसानी से उपलब्ध होने की स्थिति बनी रहती है तो नियमित गश्त और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहां शराब की दुकानें, बार या अन्य लाइसेंसी प्रतिष्ठान संचालित हैं, वहां समय-सीमा के पालन की जांच लगातार होनी चाहिए। कार्रवाई का उद्देश्य केवल प्रकरण दर्ज करना नहीं, बल्कि नियमों का वास्तविक पालन सुनिश्चित करना होना चाहिए।

कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर लौट आती है वही तस्वीर

पुलिस और आबकारी विभाग-दोनों की जिम्मेदारी, समन्वय की जरूरत

ग्वालियर में पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा शराब के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब जब्त करने, प्रकरण दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कदम उठाने की जानकारी भी सामने आती है। लेकिन यदि कार्रवाई के कुछ समय बाद उसी क्षेत्र में फिर से शराब बिक्री शुरू होने की शिकायतें सामने आती हैं, तो यह सवाल उठता है कि कार्रवाई का स्थायी प्रभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा। किसी भी अभियान की सफलता केवल उस दिन की कार्रवाई से नहीं, बल्कि उसके बाद स्थिति में आए बदलाव से तय होती है। यदि वही गतिविधियां दोबारा शुरू हो जाएं तो संबंधित क्षेत्र की निगरानी, कार्रवाई की निरंतरता और जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था पर पुनर्विचार जरूरी हो जाता है।

ऊपर से निर्देश आए तो कार्रवाई, फिर हालात सामान्य-यह व्यवस्था कब बदलेगी?

अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई किसी विशेष निर्देश या अभियान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में शराब की बिक्री को लेकर लगातार जानकारी मिलती है तो स्थानीय स्तर पर

अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे नियमित जांच और निगरानी करें। केवल वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद कार्रवाई होना और फिर कुछ समय बाद उसी गतिविधि का

ग्वालियर में शराब के खिलाफ अभियान और कार्रवाई लगातार होती रहे, यह जरूरी है; लेकिन उससे भी जरूरी है कि उसका असर जमीन पर दिखाई दे। यदि किसी क्षेत्र में बार-बार शराब बिक्री की शिकायतें सामने आती हैं और कार्रवाई के बाद भी कुछ समय में वही स्थिति लौट आती है तो संबंधित व्यवस्था को अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए। पुलिस और आबकारी विभाग के सामने चुनौती स्पष्ट है—रात में होने वाली बिक्री पर निगरानी, नियमों का पालन, अवैध शराब की आपूर्ति पर रोक और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई। सागर जैसी घटनाएं यह याद दिलाती हैं कि अवैध शराब का मामला केवल राजस्व या लाइसेंस का विषय एक विभाग द्वारा नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ा है। ग्वालियर को किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार किए बिना अपनी निगरानी और कार्रवाई व्यवस्था को जमीन पर मजबूत करना होगा। वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अब सवाल कार्रवाई की नहीं, कार्रवाई के असर का है

शराब की वैध बिक्री और उसके नियमों की निगरानी में आबकारी विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है, जबकि कानून-व्यवस्था और अवैध गतिविधियों पर पुलिस की भूमिका भी अहम है। इसलिए शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए दोनों विभागों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है। किसी कार्रवाई करने के बाद दूसरे स्तर पर निगरानी कमजोर पड़ जाए तो समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती। संवेदनशील इलाकों की संयुक्त निगरानी, रात

के समय नियमित जांच, लाइसेंस शर्तों की समीक्षा और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जैसी व्यवस्था को मजबूत किया जाना जरूरी है। आखिरकार जनता को यह दिखाई देना चाहिए कि कार्रवाई केवल कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी स्थायी बदलाव ला रही है।

खानापूर्ति नहीं, परिणाम दिखाने वाली कार्रवाई की जरूरत

शराब के खिलाफ कार्रवाई की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका परिणाम है। कुछ बातें जब कर लेना या एक-दो प्रकरण दर्ज कर देना तभी सार्थक है जब उसके बाद उसी स्थान पर अवैध बिक्री दोबारा शुरू न हो। यदि कार्रवाई के बाद भी वही गतिविधियां जारी रहती हैं तो पूरी प्रक्रिया की समीक्षा आवश्यक हो जाती है। कार्रवाई में यह भी देखा जाना चाहिए कि शराब वहां तक पहुंची कैसे, बिक्री किस स्तर पर हुई और संबंधित क्षेत्र में नियमित निगरानी क्यों नहीं हो सकी। केवल तत्काल कार्रवाई से आगे बढ़कर स्रोत से लेकर बिक्री स्थल तक पूरे नेटवर्क पर नजर रखना जरूरी है। तभी अवैध शराब के कारोबार पर वास्तविक अंकुश लगाया जा सकता है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, निशानदेही पर घर से बरामद की हीरो एचएफ डीलक्स

भितरवार पुलिस की कार्रवाई: वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक बरामद

अचलेश्वर एक्सप्रेस

ग्वालियर। वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ग्वालियर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भितरवार पुलिस ने एक वाहन चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए 39 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी07-एनएस-2880 भी बरामद कर जब्त की है।

पुलिस के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जयराज कुबेर के मार्गदर्शन में चोरी गए वाहनों की बरामदगी और आरोपियों की धरपकड़ के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है। इसी क्रम में एसडीओपी



भितरवार गगन हनवत के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भितरवार उपनिरीक्षक बलवीर मावई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अपराध क्रमांक 367/26, धारा 303(2) बीएनएस के मामले में कार्रवाई शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एक सदिग्ध को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम बंटी उर्फ साहब सिंह पुत्र दौलत सिंह रावत, उम्र 39 वर्ष, निवासी मुसहारी, थाना बेलगढ़ा, जिला ग्वालियर बताया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके घर से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर विधिवत जब्त कर ली। पुलिस ने आरोपी को प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया है। उससे अन्य वाहन चोरी की

घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी

बंटी उर्फ साहब सिंह रावत, उम्र 39 वर्ष, निवासी मुसहारी, थाना बेलगढ़ा, जिला ग्वालियर।

बरामदगी

हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी07-एनएस-2880।

सराहनीय भूमिका

थाना प्रभारी बलवीर मावई, प्रधान आरक्षक मनोज शर्मा तथा आरक्षक अशोक लोधी, अनूप शर्मा और नरेश तोमर की भूमिका रही।